न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी — श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 134 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2011 / 00071

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
वीरा पुत्री काना, जाति–बिश्नोई निवासी–अरणाय, हाल–भूतेल, तहसील व जिला–सांचौर		1 वरींगा पुत्र कानाराम, जाति– बिश्नोई, निवासी–हनवंतपुरा (अरणाय) तहसील व जिला– सांचौर 2 व्यवस्थापक, जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा–रानीवाड़ा 3 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–सांचौर 4 उप पंजियक अधिकारी, सांचौर जिला--सांचौर, (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 01.11.2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
4. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02.09.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा हनवंतपुरा, पटवार हल्का–अरणाय में प्रार्थीया के बाप–दादों की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा संख्या 1531 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1532 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1533 रकबा 14. 28 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1534 रकबा 0.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.57 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा मालिकाना हक हकूक, कब्जा काश्त का आया हुआ है। प्रार्थीया के पिता काना फौत होने पर अब वर्तमान में उनकी निर्वसीयती संपति में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ही वारिस है। काना के निर्वसीयती फौत होने पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में 1/2, 1/2 हिस्से के [illegible] पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त है चुंकि प्रार्थीया की माता गवरी भी फौत [illegible] चुकी [illegible] तथा झीमा नाऔलाद फौत हो चुकी है जिससे प्रार्थीया उक्त [illegible] विधि द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार कानुनी हक हकूक पाने [illegible] आराजी में काना के निर्वसीयती फौत होने पर प्रार्थीया का वरिंगा व स्व. गवरी के बराबर [illegible] हिस्सा विधिवत् दर्ज करना था लेकिन हल्का पटवारी व राजस्व एजेन्सी ने मिलावट कर काना के फौतेदगी नामान्तरकरण में मात्र एक अप्रार्थी संख्या 1 वरींगा एवं स्व. गवरी का नाम अवैध व विधि विरूद्व रूप से दर्ज कर प्रार्थीया को अपने हक हकूक से वंचित कर दिया, तत्पश्चात प्रार्थीया की माता गवरी यानि काना की धर्मपत्नी फौत होने पर 1/2 हिस्से मे प्रार्थीया का नाम दर्ज किया गया। प्रार्थीया अनपढ़ अंगुठा छाप महिला है नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अप्रार्थी संख्या 1 वरींगा को जिम्मा सौंपा गया था लेकिन वरींगा ने काना के फौत होने पर जान बूझकर प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने व अपने हक हकूक से वंचित करवाने के लिए अपना अकेले का नाम अवैध व विधि विरूद्व दर्ज करवा दिया, प्रार्थीया द्वारा हल्का पटवारी से रेकर्ड पठन कराया गया तो तसल्ली हुई कि काना के फौतेदगी नामान्तरकरण में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया जिससे प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की कानुनी हकदार है। प्रार्थीया महिला है अप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज गिरोह बना रखा है। वादग्रस्त आराजी में अपने नाम से अवैध विधि विरूद्व दर्ज इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को आगे से आगे हस्तान्तरण, विक्रय, रहन, तर्क वगैरह करने के लिए येन–केन जबरन भूमि हड़प करने के लिए उतारू है तथा प्रार्थीया को अपने शांतिपूर्ण पुश्तैनी कब्जे काश्त से जबरन बेदखल कर वादग्रस्त आराजी में अवैध व विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थीया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करते है तथा काश्त में भारी विघ्न पैदा करते है ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीया स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार होने से प्रार्थीया द्वारा वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम में विहित अनुसूची के अनुसार संपूर्ण भूमि में 1/2 हिस्से की कानुनी हक पाने की अधिकारी है लेकिन राजस्व ऐजेन्सी ने मिलावट कर प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा ही दर्ज किया गया है जबकि मौके पर प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा पर शांतिपूर्ण काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का अवैध व विधि विरूद्व दर्ज नाम का नाजायज फायदा उठाकर आराजी आगे से आगे किसी अजनबी व्यक्ति को हस्तान्तरण, विक्रय, तर्क, रहन इत्यादि कर प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को भारी असुविधा होगी। इस प्रकार प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में सभव नहीं होगा, अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि मौजा हनवंतनगर (अरणाय) पटवार हल्का–अरणाय के खेत खसरा संख्या 1531, 1532, 1533, 1534 जुमले रकबा 14.57 हैक्टेयर भूमि का बेचान, हस्तांतरण, विक्रय, रहन, तर्क, वसीयत वगैरह न तो स्वय करें एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाएं रखें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 वरींगा की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया काना पुत्र रिड़मल की पुत्री नहीं है जबकि काना पुत्र नारायण की पुत्री है जो गलत ढंग से मेरे पुश्तैनी जमीन में विवाद पैदा करना चाहती है उक्त आराजी काना पुत्र रिड़मल के नाम से चली आ रही है। हमारे गांव में काना पुत्र नारणा नाम का आदमी रहता था जो हमारे काका बाबा में भाई था जिसने ग्राम अरणाय छोड़कर राणासर बाड़मेर में बस गया था जबकि मेरे पिता के फौत होने पर उतराधिकारी में नामान्तरकरण हमारे साथ–साथ स्वीकृत करवाना चाहा जिस पर मेरे द्वारा आपति करने पर तहसीलदार साहब [illegible] द्वारा इस बिन्दु पर सुना गया जिसमें मुझ अप्रार्थी द्वारा ग्राम राणासर ग्राम पंचायत छोटू की वंशावली प्रमाण [illegible] की जमाबंदी लाकर पेश की जिसमें काना पुत्र नारायण व [illegible] रेकर्ड में दर्ज था जिसके आधार पर शेराराम द्वारा की गई [illegible] पिता के फौत होने पर की गई थी उसे गलत मानकर मेरे नाम नामान्तरकरण खोला गया तथा मेरे मां के नाम भी नामान्तरकरण खोला गया था, मेरी मां के फौत होने पर [illegible] शेराराम ने अपनी बहन वीरा पुत्री काना को लाकर बाले–बाले मेरे साथ वीरा व मेरी बहन झीमा का नामान्तरकरण खोल दिया जबकि मेरी बहन झीमा जो आज से कुछ वर्ष पूर्व फौत हो गई थी जिसने अपने जीवनकाल में लाधुराम को गोद लिया था। वीरा मेरी बहन नहीं है। तथाकथित ढंग से जो काना पुत्र नारायण की पुत्री होते हुए काना जो मेरे पिता है उसकी जगह उतराधिकार प्राप्त करने के लिए यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। गांव के कुछ लोग मुझसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.11.29 15:07:08 IST
Reason: SelfAttested

रंजिश रखते है उन्होंने वीरा को लाकर मेरी मां के फौत होने पर नामान्तरकरण वीरा के नाम दर्ज करवा दिया गया है जो गलत है। मेरे पिता काना पुत्र रिड़मल के फौत होने पर प्रथम दृष्टया में अप्रार्थी व मेरी माता उतराधिकारिणी होने से उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ, यदि प्रार्थीया कोई उतराधिकारिणी होती तो अवश्य अपना नाम इस वक्त दर्ज करवाती व दर्ज नहीं होने पर उस नामान्तरकरण की अपील करती, परन्तु ऐसा कभी नहीं किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। ग्राम पंचायत छोटू से उतराधिकारी प्रमाण–पत्र व शेरा जो प्रार्थीया का भाई है। उसका पिता काना नारायण का बेटा होने का प्रमाण के रूप में जमाबंदी पेश की थी तब मेरे नाम नामान्तरकरण हुआ व शेरा का प्रार्थना–पत्र खारिज हुआ व इस भूमि पर मेरा कब्जा जरिये उतराधिकारी काना के बाद चला आ रहा है। प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं रहा न ही प्रार्थीया का ग्राम अरणाय से कोई सरोकार रहा है न ही उसका मतदाता सूची अथवा परिवार राशन कार्ड, परिचय–पत्र, आदि में नाम दर्ज है इसलिए सुविधा का संतुलन भी मुझ अप्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थीया काना पुत्र नारायण की पुत्री होते हुए भी मुझ अप्रार्थी के पिता काना पुत्र रिड़मल की खातेदारी में हक प्राप्त कर लेती है तो मुझे अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों पैसों में नही किया जा सकता। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र निराधार, बेबुनियाद व गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय कोस्ट खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना (तामील) के अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये बावजूद इसके जवाब पेश नहीं करने से उक्त का जवाब बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया।

अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है :–

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :– प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार की जायन्दा कानूनियां वारिस होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि हमारे गांव में काना पुत्र नारायण नाम का आदमी रहता था जो हमारे काका बाबा में भाई था, वीरा उसकी पुत्री होना दर्शाया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबूतों के आधार पर होगा। राजस्व मण्डल ने अपने अनेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या [illegible] खातेदार होने से प्रथम मामला उनके पक्ष में बखूबी [illegible] है।
2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी [illegible] किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी [illegible] अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार एवं उसका निरन्तर कब्जा काश्त है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में भली भांति सिद्व होता है।
3. <u>अपूरणीय क्षति</u> :– पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान, बैंक से लोन प्राप्ति, रहनमुक्ति

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.11.29 15:07:08 IST
Reason: SelfAttested

एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार खातेदार को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थी साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक, सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर) जिला सांचौर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक, सांचौर, जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (सांचौर) जिला सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:08 IST
Reason: SelfAttested